



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

पूरक परीक्षा वर्ष 2016 हेतु शुल्क जमा कराने संबंधी दिशा-निर्देश

क्रमांक:सैल-8/2016/40

दिनांक :02.07.2016

वर्ष 2016 की पूरक परीक्षा के लिये ऑनलाईन शुल्क जमा कराने की तिथियां निम्नानुसार है :-

परीक्षा शुल्क का प्रकार	परीक्षार्थियों द्वारा शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि	परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराने की अन्तिम तिथि	शाला द्वारा बैंक रसीद एवं अग्रेषण सूची बोर्ड कार्यालय को भेजने की अन्तिम तिथि
1. सामान्य परीक्षा शुल्क	18 जुलाई, 2016	22 जुलाई, 2016	30 जुलाई, 2016
2. एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित	25 जुलाई, 2016	29 जुलाई, 2016	
3. असाधारण विलम्ब शुल्क रुपये 1000/- तथा परीक्षा शुल्क	परीक्षा प्रारम्भ होने तक (शुल्क केवल पूरक परीक्षा केन्द्र पर बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा होगा।)		

पूरक परीक्षा 2016 की तिथियां

पूरक परीक्षा (प्रायोगिक)	सोमवार 01 अगस्त, 2016
पूरक परीक्षा (सैद्धान्तिक)	गुरुवार 11 अगस्त से शनिवार 13 अगस्त, 2016

परीक्षा शुल्क नियमित परीक्षार्थियों के लिये 500/- तथा स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिये 550/- निर्धारित है। प्रायोगिक परीक्षा शुल्क रु. 75/- प्रति विषय पृथक से देना होगा। विद्यालय एवं परीक्षार्थी मूल अंकतालिकाओं का इन्तजार नहीं करें तथा पूरक परीक्षा शुल्क जमा कराने की कार्यवाही शीघ्र करें। विशेष योग्यजन (दिव्यांग) परीक्षार्थियों को टोकन शुल्क 45/- रु. देना होगा।

01. विद्यालयों द्वारा ऑनलाईन पूरक परीक्षा शुल्क जमा कराने की व्यवस्था :- बोर्ड की वेबसाईट <http://rajeduboard.nic.in> पर login करके परीक्षा शुल्क एवं अग्रेषण सूची एवं चालान मुद्रित कर राजस्थान में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा तथा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की किसी भी शाखा में जमा करा सकेगें। पूरक परीक्षा हेतु पृथक से कोई आवेदन पत्र नहीं भरना है। बैंकों द्वारा रु. 20/- प्रति चालान कमीशन चार्ज किया जायेगा।

02. सभी विद्यालयों को पूरक परीक्षा शुल्क ऑनलाईन जमा कराना अनिवार्य है। नियमित परीक्षार्थियों का पूरक परीक्षा शुल्क संबंधित विद्यालय तथा स्वयंपाठी परीक्षार्थियों का शुल्क उनके मुख्य परीक्षा केन्द्र द्वारा ऑनलाईन चालान से बोर्ड द्वारा अधिकृत बैंकों के माध्यम से जमा कराना होगा। बोर्ड द्वारा पूरक परीक्षा शुल्क के बैंक ड्राफ्ट किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। असाधारण परीक्षा शुल्क रु. 1000/- सहित परीक्षा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट केवल संबंधित पूरक परीक्षा के केन्द्र पर जमा करवाकर परीक्षा में प्रवेशाज्ञा दी जा सकेगी।

03. बोर्ड द्वारा पूरक परीक्षा योग्य घोषित परीक्षार्थियों के नामांक, नाम व केन्द्र संबंधी सूचना बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड की जायेगी। सभी विद्यालयों को बोर्ड द्वारा पूर्व में प्रदत्त यूजर आई.डी. तथा पासवर्ड से बोर्ड की वेबसाईट <http://rajeduboard.nic.in> पर पूरक परीक्षा 2016 के लिंक पर क्लिक करना होगा। तत्पश्चात् शाला के नाम तथा उनके पूरक परीक्षा योग्य समस्त परीक्षार्थियों के नामांक, नाम, पिता का नाम, इत्यादि सूचना प्रदर्शित होगी। शाला द्वारा जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क जमा कराना है इनके नामांक का चयन कर नामांक के समक्ष सही का चिन्ह (√) पर क्लिक करें तत्पश्चात् बैंक ऑफ बड़ौदा तथा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक में किसी भी एक बैंक का चयन करें तथा शाला द्वारा शुल्क जमा कराये जाने वाले परीक्षार्थियों की सूची व चयनित बैंक का परीक्षा शुल्क का चालान मुद्रित कराना होगा। मुद्रित परीक्षार्थियों की सूची व चालान बैंक में प्रस्तुत कर परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराए। शेष रहे परीक्षार्थी जो पूरक परीक्षा नहीं देना चाहते अथवा जिनका पूरक परीक्षा शुल्क नहीं जमा किया है, नामावली (NOMINAL ROLL) में उनके नामांक के समक्ष स्वतः ही NAP (NOT APPLIED) मुद्रित हो जायेगा ऐसे परीक्षार्थी पूरक परीक्षा के केन्द्र पर असाधारण परीक्षा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जमा करवाकर पूरक परीक्षा में बैठ सकेगें। OnlineChalan मुद्रण दिनांक से परीक्षा शुल्क की राशि निर्धारित अंतिम तिथि तक बैंक में जमा करायी जा सकेगी। चालान में शुल्क जमा कराने की प्रारम्भिक एवं अन्तिम तिथि मुद्रित होगी, इस अवधि में ही बैंक में शुल्क जमा कराना अनिवार्य है।

4. परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराना :- परीक्षा शुल्क का चालान 4 पर्ण एवं प्रतिपर्ण में मय शुल्क विवरण व अग्रेषण सूची के मुद्रित होगा। चालान के साथ परीक्षार्थियों की अग्रेषण सूची भी दो प्रतियों में मुद्रित की जानी है। चालान व अग्रेषण सूची की एक-एक प्रतियाँ एवं परीक्षा शुल्क निर्धारित अवधि में बैंक में नकद जमा कराना है। बैंक द्वारा शुल्क जमा करने के पश्चात् अग्रेषण सूची की एक प्रति तथा चालान फार्म की 3 प्रतियाँ सील लगाकर वापस लौटा दी जायेगी। बैंक द्वारा चालान फार्म पर एक Transaction No. भी अंकित किया जायेगा।

5. एक से अधिक बार ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु :- पुनः क्रम संख्या 3 से 4 तक की प्रक्रिया अपनावें।

6. शाला द्वारा बैंक में जमा किये शुल्क के चालान की विद्यालय प्रति एवं अग्रेषण की एक प्रति स्वयं के पास सुरक्षित रखी जाये तथा परीक्षार्थियों की दूसरी सूची एवं शुल्क जमा चालान की दो प्रतियाँ बोर्ड कार्यालय को स्पीड पोस्ट से अनिवार्यतः भेजें। अधिक जानकारी हेतु बोर्ड के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष क्रमांक 0145-2632866, 2632867, 2632868 पर सम्पर्क करें। फैक्स नं. 0145-2632869 है।

सचिव



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

पूरक परीक्षा वर्ष 2016

(माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय)

आवश्यक सूचनाएँ

- 1- पूरक परीक्षा वर्ष 2016 प्रारम्भ होने की तिथियाँ :-

(1) सैद्धान्तिक परीक्षाएँ	गुरुवार, 11 अगस्त, 2016
(2) प्रायोगिक परीक्षाएँ	सोमवार, 01 अगस्त, 2016

- 2- परीक्षा शुल्क राशि :-

परीक्षा शुल्क	सामान्य परीक्षा शुल्क	एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित	असाधारण विलम्ब शुल्क सहित
(1) नियमित परीक्षार्थियों के लिये	रु. 500/-	रु. 1000/-	रु. 1500/-
(2) स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिये	रु. 550/-	रु. 1100/-	रु. 1550/-
(3) विशेष योग्यजन (दिव्यांग) परीक्षार्थियों के लिये (कोड D)	टोकन शुल्क रुपये 45/- देना होगा।		

- 3- परीक्षार्थियों से शुल्क प्राप्त करने की अन्तिम तिथियाँ :-

परीक्षा शुल्क का प्रकार	परीक्षार्थियों द्वारा शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि	परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराने की अन्तिम तिथि	शाला द्वारा बैंक रसीद एवं अग्रेषण सूची बोर्ड कार्यालय को भेजने की अन्तिम तिथि
1. सामान्य परीक्षा शुल्क (कोड-A)	18 जुलाई, 2016	22 जुलाई, 2016	30 जुलाई, 2016
2. एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित (कोड-B)	25 जुलाई, 2016	29 जुलाई, 2016	
3. असाधारण विलम्ब शुल्क (कोड-C) रुपये 1000/- तथा परीक्षा शुल्क सहित	परीक्षा प्रारम्भ होने तक (शुल्क केवल परीक्षार्थी के पूरक परीक्षा केन्द्र पर बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा होगा)		

परीक्षार्थियों हेतु विशेष निर्देश

- पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने के कौन पात्र है -
माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा वर्ष 2016 में जो परीक्षार्थी सम्मिलित हुए हैं और जिनका परीक्षा परिणाम पूरक परीक्षा योग्य घोषित किया गया है, पूरक परीक्षा 2016 में सम्मिलित हो सकेंगे।
- पूरक परीक्षा 2016 हेतु आवश्यक निर्देश -
 - परिणाम घोषणा के अनुसार उपरोक्त तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। जिसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से दी जायेगी।
 - मुख्य परीक्षा 2016 के नियमित परीक्षार्थी पूरक परीक्षा में नियमित माने जायेंगे तथा उनके सत्रांक मुख्य परीक्षा के ही होंगे।
 - माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर किसी भी परीक्षार्थी को पूरक परीक्षा के समय अतिरिक्त विषय में प्रवेशाज्ञा नहीं दी जायेगी।
 - प्रायोगिक परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिये असाधारण विलम्ब शुल्क के आधार पर प्रवेशाज्ञा देय नहीं है।
 - पूरक परीक्षा हेतु पृथक से कोई आवेदन पत्र नहीं भरा जायेगा।
 - नियमित परीक्षार्थी अपनी शाला में तथा स्वयंपाठी परीक्षार्थी अपने मुख्य परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा शुल्क जमा करायेंगे।
 - परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि के बाद परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जावेगा तथा प्रवेशाज्ञा निरस्त कर दी जायेगी।
 - किसी भी परीक्षार्थी द्वारा सीधे बोर्ड कार्यालय को भेजे गये शुल्क को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 - नियमित परीक्षार्थी अपनी शाला से तथा स्वयंपाठी परीक्षार्थी अपने मुख्य परीक्षा केन्द्रों पर जहाँ पूरक परीक्षा शुल्क जमा कराया है वहीं से उनका प्रवेश पत्र भी निर्देशित समय पर प्राप्त करें।
 - पूरक परीक्षा 2016 में प्रविष्ट होकर पूरक विषय में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को श्रेणी प्रदान की जायेगी।
 - पूरक परीक्षा केन्द्रों की जानकारी बोर्ड वेबसाइट www.rajeduboard.nic.in अथवा मुख्य परीक्षा 2015 का केन्द्र क्रमांक एवं नाम तथा नामांक बताकर बोर्ड कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर 0145 - 2632866, 2632867, 2632868 व फैक्स नं. 0145-2632869 पर प्राप्त की जा सकती है।

12. यदि प्रवेश पत्र पर फोटो नहीं हो अथवा गलत फोटो मुद्रित हो तो अपना नवीनतम फोटो लगाएं तथा शाला प्रधान/केन्द्राधीक्षक से प्रमाणित करावें।
13. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र को सुरक्षित एवं सम्माल कर रखें। इसी के आधार पर परीक्षा में प्रवेशाज्ञा दी जावेगी।
14. प्रवेश पत्र खो जाने/नष्ट हो जाने पर रूपये 25/- परीक्षा केन्द्र पर जमा करवाकर प्रतिलिपि प्रवेश पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

शाला प्रधान/अग्रेषण अधिकारियों हेतु अति आवश्यक निर्देश

1. पूरक परीक्षा 2016 हेतु पृथक से कोई आवेदन पत्र नहीं भरवाना है।
2. नियमित परीक्षार्थी अपनी शालाओं में तथा स्वयंपाठी परीक्षार्थी अपने मुख्य परीक्षा केन्द्र पर पूरक परीक्षा शुल्क निर्धारित तिथियों में जमा कराने हेतु उपस्थित होंगे।
3. सामान्य व एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क शाला प्रधान /मुख्य परीक्षा केन्द्राधीक्षक तथा असाधारण विलम्ब परीक्षा शुल्क केवल पूरक परीक्षा केन्द्रों पर केन्द्राधीक्षक जमा कर सकेंगे।
4. पूरक परीक्षा का परीक्षा शुल्क ऑनलाईन जमा कराना है। परीक्षा शुल्क बैंक ऑफ बड़ौदा अथवा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की निकटतम किसी भी शाखा में निर्धारित तिथियों में जमा करावें। "ऑन लाईन" शुल्क जमा कराने सम्बन्धी विस्तृत निर्देश को देखें।
5. पूरक परीक्षा केन्द्र पर असाधारण विलम्ब शुल्क रूपये 1000/- सहित जमा परीक्षा शुल्क सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर के नाम बैंक ड्राफ्ट द्वारा भी बोर्ड को भेजा जा सकता है।
6. चालान फार्म रसीद की दो प्रतियों के साथ परीक्षा प्रपत्र 127-A/128-A भी भरकर भेजना आवश्यक है।
7. सभी शाला प्रधान निर्धारित तिथि को ही बैंक में जमा कराये गये परीक्षा शुल्क की चालान रसीद एवं छात्रों की अग्रेषण सूची एवं प्रपत्र 127-A/128-A स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से "उपनिदेशक (परीक्षा), माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के पते पर प्रेषित करें। लिफाफे के ऊपर कोने पर "पूरक परीक्षा 2016" अवश्य अंकित करें।
8. शाला प्रधान निर्धारित तिथि तक प्राप्त शुल्क बैंक में जमा करावें तथा निर्धारित तिथि को बोर्ड को परीक्षा शुल्क जमा कराने की रसीद तथा अग्रेषण सूची अवश्य भेज दें। निर्धारित तिथि को पूरक परीक्षा शुल्क जमा कराने की रसीद तथा अग्रेषण सूची बोर्ड को नहीं भेजने पर नियमानुसार एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क/असाधारण परीक्षा शुल्क प्रति छात्र देय होगा जिसकी जिम्मेदारी शाला प्रधान की होगी।
9. इस वर्ष पूरक परीक्षा के मुद्रित प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे। संबंधित शाला को पूर्व प्रदत्त आई.डी. पासवर्ड से बोर्ड की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर हार्ड कॉपी निकालकर शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित कर छात्रों को वितरित की जानी है। परीक्षार्थियों को तदनुसार सूचित करें।
10. नियमित छात्रों के प्रवेश पत्र शाला प्रधान तथा स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र केन्द्राधीक्षक (जहां परीक्षार्थी ने शुल्क जमा कराया है) द्वारा डाउनलोड किये जायेंगे। बिना शाला प्रधान के प्रमाणिकरण बिना प्रवेश पत्र मान्य नहीं होगा।
11. डाउनलोड किये गये प्रवेश पत्रों के वितरण करते समय विशेष ध्यान रखें कि कोई ऐसा प्रवेश पत्र जिसका परीक्षा शुल्क जमा नहीं हुआ है तो उसे परीक्षार्थी को वितरित नहीं करें।
12. शुल्क प्राप्ति के बिना यदि परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र वितरित करने पर शाला प्रधान व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु आयुक्त/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु लिखा जायेगा।
13. कृपया उक्त सूचनाओं से सभी परीक्षार्थियों को अवगत करा दें एवं इसके प्रति सूचना पट्ट पर भी चस्पा कर दें।
14. "ऑन लाईन" शुल्क जमा कराने के आवश्यक निर्देश बोर्ड website www.rajeduboard.nic.in उपलब्ध है।
15. प्रपत्र 31, 48, 127-A तथा 128-A की प्रति बोर्ड वेबसाइट पर भी उपलब्ध है जहां से डाउनलोड की जा सकती है।

पूरक परीक्षा के प्रवेश पत्र ऑनलाईन मुद्रण संबंधी निर्देश

1. समस्त शाला प्रधानों/अग्रेषण अधिकारी उन्हें पूर्व प्रदत्त आई.डी./पासवर्ड से पूरक परीक्षा के ऑनलाईन प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्रवेश पत्रों की हार्ड कॉपी निकालें तथा ऐसे परीक्षार्थी जिनका परीक्षा शुल्क आप द्वारा चालान से बैंक में जमा करवा दिया है केवल उन्हीं परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्रों को प्रमाणित कर उन्हें वितरित करेंगे।
2. असाधारण परीक्षा शुल्क वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क का डी.डी. बोर्ड को सीधा भेजना सुनिश्चित कर तत्पश्चात् ही उन्हें प्रवेश पत्र प्रमाणित कर वितरित किया जाए।

नोट :- बिना परीक्षा शुल्क यदि प्रवेश पत्र परीक्षार्थियों को वितरित किये गये तो संबंधित शाला प्रधान के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(पूरक परीक्षा 2016 शुल्क चालान द्वारा जमा कराने की व्यवस्था)

ऑनलाईन पूरक परीक्षा शुल्क आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की राजस्थान की निकटतम किसी भी शाखा में "चालान द्वारा" नकद जमा कराना है। अतः निम्नांकित व्यवस्थानुसार परीक्षा शुल्क "चालान द्वारा" जमा करावें। इस हेतु निम्नांकित विस्तृत निर्देशों की पालना किया जाना आवश्यक है।

1. विद्यालयों द्वारा ऑनलाईन पूरक परीक्षा शुल्क जमा कराने की व्यवस्था :- बोर्ड की वेबसाइट <http://rajeduboard.nic.in> पर login करके परीक्षा शुल्क एवं अग्रेषण सूची एवं चालान मुद्रित कर राजस्थान में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा तथा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की किसी भी शाखा में जमा करा सकेंगे। पूरक परीक्षा हेतु पृथक से कोई आवेदन पत्र नहीं भरना है।
2. सभी विद्यालयों को पूरक परीक्षा ऑनलाईन जमा कराना अनिवार्य है। नियमित परीक्षार्थियों का पूरक परीक्षा शुल्क संबंधित विद्यालय तथा स्वयंपाठी परीक्षार्थियों का शुल्क उनके मुख्य परीक्षा केन्द्र द्वारा ऑनलाईन चालान से बोर्ड द्वारा अधिकृत बैंकों के माध्यम से जमा कराना होगा। बोर्ड द्वारा पूरक परीक्षा शुल्क के बैंक ड्राफ्ट किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। असाधारण परीक्षा शुल्क रू. 1000/- सहित परीक्षा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट केवल संबंधित पूरक परीक्षा के केन्द्र पर जमा करवाकर परीक्षा में प्रवेशाज्ञा दी जा सकेगी।
3. बोर्ड द्वारा पूरक परीक्षा योग्य घोषित परीक्षार्थियों के नामांक नाम व केन्द्र संबंधी सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। सभी विद्यालयों को बोर्ड द्वारा पूर्व में प्रदत्त यूजर आई.डी. तथा पासवर्ड से बोर्ड की वेबसाइट <http://rajeduboard.nic.in> पर पूरक परीक्षा 2016 के लिक पर क्लिक करना होगा। तत्पश्चात् शाला के नाम तथा उनके पूरक परीक्षा योग्य समस्त परीक्षार्थियों के नामांक, नाम, पिता का नाम, इत्यादि सूचना प्रदर्शित होगी। शाला द्वारा जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क जमा कराना है इनके नामांक का चयन कर नामांक के समक्ष सही (✓) करें, तत्पश्चात् बैंक ऑफ बड़ौदा तथा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक में किसी भी एक बैंक का चयन करें। तत्पश्चात् शाला द्वारा शुल्क जमा कराये जाने वाले परीक्षार्थियों की सूची व चयनित बैंक का परीक्षा शुल्क का चालान मुद्रित कराना होगा। मुद्रित चालान दो दिन पश्चात् एक्टिवेट (ACTIVATE) होगा। मुद्रित परीक्षार्थियों की सूची व चालान बैंक में प्रस्तुत कर परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराये बैंक शुल्क जमा कराये बैंक शुल्क जमा करके तीन प्रति पर्ण व परीक्षार्थी सूची पर सील लगाकर शाला को लौटा देगा। शेष रहे परीक्षार्थी जो पूरक परीक्षा नहीं देना चाहते अथवा जिनका पूरक परीक्षा शुल्क नहीं जमा किया जाना है, नामावली (NOMINAL ROLL) में उनके नामांक के समक्ष स्वतः ही NAP (NOT APPLIED) मुद्रित हो जायेगा तथा इन परीक्षार्थियों को पूरक परीक्षा में प्रवेशाज्ञा प्रदान नहीं की जायेगी। ऐसे परीक्षार्थी पूरक परीक्षा के केन्द्र पर असाधारण परीक्षा शुल्क के बैंक ड्राफ्ट जमा करवाकर पूरक परीक्षा में बैठ सकेंगे। Online Chalan मुद्रण दिनांक से परीक्षा शुल्क की राशि निर्धारित अंतिम तिथि तक बैंक में जमा करायी जा सकेगी। चालान द्वारा बैंक में शुल्क जमा कराने की जे प्रारम्भिक एवं अन्तिम तिथि (VALIDITY DATE) मुद्रित होगी, इस अवधि में ही बैंक में शुल्क जमा कराना अनिवार्य है।

अ. ऑनलाईन पूरक परीक्षा शुल्क का चालान मुद्रित करना -

1. नियमित परीक्षार्थियों के चालान फॉर्म पूर्ति करते समय 7 अंकों का विद्यालय कोड जो बोर्ड द्वारा आपको पूर्व में ही आवंटित है, का प्रयोग करें। उदाहरणार्थ - **H 1 1 8 0 2 0 1** अथवा **S 1 1 8 0 0 8 5** प्रथम खाने में (माध्यमिक हेतु S, उच्च माध्यमिक हेतु H, प्रवेशिका हेतु P एवं वरिष्ठ उपाध्याय हेतु U को सही मार्क करें) तत्पश्चात् रिक्त खानों में 7 अंकों का विद्यालय कोड भरें।
2. इसी प्रकार स्वयंपाठी परीक्षार्थियों हेतु अग्रेषण अधिकारी कोड उदाहरणार्थ - **F 3 2 4 0 5** का प्रयोग करें।
3. विद्यालय का पूरा नाम जिले सहित अंकित करें।
4. परीक्षा का कोड - माध्यमिक (कोड- 1)/उच्च माध्यमिक (कोड-2)/प्रवेशिका (कोड-3)/वरिष्ठ उपाध्याय (कोड-4) तथा वर्ष-2016 अंकित करें।
5. परीक्षा शुल्क की गणना A से C में अंकित करें। प्रायोगिक परीक्षा शुल्क यदि हो तो छात्र संख्या के अनुसार राशि की पूर्ति अवश्य करें। इसका पृथक कोड नहीं है।
6. शाला प्रधान का नाम, फोन व मोबाईल नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित करें।
7. Transaction No. बैंक से सम्बन्धित है अतः रिक्त छोड़ दें।

ब. परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराना -

चालान फॉर्म की प्रविष्टियों की पूर्ति कर परीक्षार्थियों की सूची (दो प्रतियों में) (प्रपत्र 48) परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराने हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक अथवा बैंक ऑफ बड़ौदा की राजस्थान में स्थित किसी भी निकटतम शाखा में ब्रांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर नकद राशि कैश काउण्टर पर जमा करावे जहां आपको शुल्क जमा कर चालान की 3 प्रतियां तथा परीक्षार्थियों की सूची प्रमाणित कर लौटाई जायेंगी। प्रत्येक चालान के साथ रु. 20/- बैंक कमीशन अतिरिक्त जमा कराना होगा।

स. बोर्ड को शुल्क की रसीद एवं अग्रेषण सूची का प्रेषण -

बैंक में चालान फॉर्म द्वारा पूरक परीक्षा शुल्क जमा कराने के बाद लौटाई गई 3 प्रतियों में से कमांक 3 प्रति अपने कार्यालय हेतु सुरक्षित रख कमांक 1 व 2 प्रतियां, अग्रेषण सूची तथा प्रपत्र 127A/128A के साथ स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से निम्न पते पर निर्धारित अंतिम तिथि तक बोर्ड कार्यालय को अनिवार्यतः प्रेषित करें।

- नोट :
1. बैंक द्वारा ड्राफ्ट कमीशन के स्थान पर प्रति चालान रु. 20/- चार्ज किया जावेगा। जिसका भुगतान शाला को आवेदन पत्र अग्रेषण शुल्क राशि में से पृथक से करना है।
 2. दुगने परीक्षा शुल्क की अन्तिम तिथि पश्चात् स्वयंपाठी एवं नियमित परीक्षार्थी परीक्षा प्रारम्भ होने तक असाधारण विलम्ब शुल्क सहित परीक्षा शुल्क परीक्षा केन्द्र पर जमा करा कर परीक्षा में प्रवेश पा सकते हैं। सभी केन्द्राधीक्षक परीक्षा समाप्ति पश्चात् इस प्रकार के असाधारण शुल्क का ड्राफ्ट बनवाकर विवरण सहित बोर्ड कार्यालय को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से भेजें।
 3. चालान में भरी गई सूचनाएँ सही होनी चाहिये अन्यथा आप द्वारा जमा कराया गया परीक्षा शुल्क सही रूप से बोर्ड खाते में स्थानान्तरित नहीं हो पायेगा। फीस का मिलान नहीं होने पर परीक्षार्थियों का पूरक परीक्षा परिणाम रोका जा सकता है जिसकी समस्त जिम्मेदारी शाला प्रधान की होगी।

कृपया विशेष रूप से यह ध्यान रखें कि चालान में वर्णित शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि को परीक्षा शुल्क बैंक में अवश्य जमा करा दें। बैंक द्वारा नियत तिथि उपरान्त शुल्क किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जावेगा। शुल्क जमा न होने की समस्त जिम्मेदारी विद्यालय की स्वयं की होगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान
अजमेर

-: सम्पर्क सूत्र :-

	फोन नं. कार्यालय	फोन नं. निवास
श्रीमती प्रिया भार्गव विशेषाधिकारी एवं मुख्य नियंत्रक (परीक्षा)	0145-2420071	0145-2429043
श्री कुम्भाराम रेलावत ए.सी.पी. (उपनिदेशक)	0145-2627454	-
श्री शिव शंकर अग्रवाल उप निदेशक (परीक्षा)	मो. 9414708865	0145-2423300

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

पूरक परीक्षा शुल्क विवरण

वर्ष 2016

विद्यालय का नाम अग्रेषण अधिकारी कोड F शाला प्रधान का नाम मुख्य परीक्षा केन्द्र कोड C

फोन : एस.टी.डी.कोड.....(वि.).....(नि.).....

नोट : (1) परीक्षा के नाम के सम्मुख (✓) अंकित करें। (2) प्रत्येक परीक्षा के लिए पृथक-पृथक भरें।

परीक्षा का नाम :- 1. माध्यमिक 3. प्रवेशिका
 2. उच्च माध्यमिक 4. वरिष्ठ उपाध्याय

परीक्षा शुल्क की गणना :-

(A) सामान्य परीक्षा शुल्क :- कुल परीक्षार्थी × 550 = रु.

(B) एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित :- कुल परीक्षार्थी × 1100 = रु.

(D) अन्य शुल्क (विकलांग/नेत्रहीन/सैनिकों के आश्रित) :- कुल परीक्षार्थी × 45 = रु.

कुल राशि रु.

बैंक का नाम - आई.सी.आई.सी.आई. बैंक/बैंक ऑफ बड़ौदा

शाखा

Transaction No. दिनांक रूपयेTransaction No. दिनांक रूपयेTransaction No. दिनांक रूपये

दिनांक.....

ह. (शाला प्रधान)
सील मय विद्यालय कोड

नोट :- 1. ऑनलाईन पूरक परीक्षा शुल्क निर्धारित चालान फार्म में केवल आई.सी.आई.सी.आई. बैंक अथवा बैंक ऑफ बड़ौदा की निकटतम किसी भी शाखा में जमा कराया जा सकता है।

2. परीक्षा शुल्क का चालान पूरी राशि का एक ही बनाया जावे।

3. इस प्रपत्र की फोटो प्रति उपयोग में ली जा सकती है।

4. बैंक चालान के पीछे विद्यालय की सील मय विद्यालय कोड अवश्य लगायें।

5. परीक्षा शुल्क के चालान एवं अग्रेषण सूची निम्न पते पर भेजें :-

उपनिदेशक (परीक्षा)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

6. लिफाफे पर "पूरक परीक्षा 2016" अवश्य अंकित करें।

